कार्यालय उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र।

पत्रांक:भ–25/डी0डी0/फ0स0/मेरठ–14(जीएन)/739 दिनांक: अगस्त 28 ,2014

सेवा मे,

महाप्रबन्धक, (वास्तु एवं नियोजन)
ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण,
जनपद गौतमबुद्धनगर।

विषयः **मैसर्स वोकेशनल एजुकेशन फाउण्डेशन द्वारा प्लाट न0–08, सेक्टर–चोरसिया एस्टेट, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन के निमार्ण हेतु संशोधित मानचित्रो की अनुज्ञा हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।**

यूआईडी: 2014/ 2970/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/422/डीडी

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से उक्त प्रश्नगत भूखण्ड पर आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र एवं प्रश्नोत्तरी उपलब्ध कराते हुए अग्निशमन प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रो का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नौएडा से कराया गया तथा उनकी आख्या दिनांक: 27–08–2014 का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर द्वारा अपनी संस्तुति आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई प्रस्तुत आख्याओ एवं अभिलेखो का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण किया गया भवन का विवरण निम्नवत हैः–

भवन की संरचनाः–प्लाट एरिया–9731.760 वर्ग मी0 है, जिसमे पूर्व के प्रस्तावित 03 टावरों का अनुमोदन तत्कालीन मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा अपने पत्र संख्याः भ–19/सीएफओ/जीबीएन–12(जीएन)/565 दिनांक: 07–03–2012 के माध्यम से किया गया है पुनः प्रश्नगत भवन मे टावर बी का अतिरिक्त निर्माण हेतु इस कार्यालय के संमाक पत्र दिनांकः फरवरी 28, 2014 के माध्यम से निर्गत किया गया है। वर्तमान मे पुनः संशोधन निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है, जिसका एरिया विवरण निम्नवत हैः–

कमांक	नाम टावर	तलों की संख्या		भूतल कवर्ड		टिपिकल कवर्ड एरिया		आकूपाइड ऊँचाई मी0 मे	
		पूर्व के तल	वर्तमान	पूर्व	वर्तमान	पूर्व	वर्तमान	पूर्व	वर्तमान
1	ब्लाक ए–1	02बी+एस एवं 20	02बी+एस एवं 20	390.540	451.832	353.970	358.855	66.400	66.40
2	ब्लाक ए–2	02बी+एस एवं 20	02बी+एस एवं 20	353.796	454.263	353.970	360.628	66.400	66.40
3	ब्लाक ए–3	02बी+एस एवं 20	02बी+एस एवं 20	353.796	432.431	353.970	358.664	66.400	66.40
4	ब्लाक–बी	02बी+एस एवं 20	02बी+एस एवं 20	313.094	317.868	274.363	277.77	66.400	66.40
5	ब्लाक–ए0	–	02बी+एस एवं 20	–	404.353	–	357.215	–	66.40

बेसमेन्टः–प्रश्नगत भवन के 02 बेसमेन्ट प्रस्तावित है जिसमे लोवर बेसमेन्ट एवं अपर बेसमेन्ट एरिया–6419.952 वर्ग मी0 प्रत्येक है।

भवन का अधिभोग विवरणः– प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट (एन0बी0सी–2005 आवसीय श्रेणी ए0–4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्थाः–

1–पहुच मार्गः– भूखण्ड के सामने मानचित्रों मे रोड की चौडाई 24 मी0 का रोड है एवं दूसरी और भी 24 मीटर का रोड है प्रवेश एवं निकास द्वार जिनकी चौडाई 06 मीटर एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

2– सैटबेकः– प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत हैः–

ए0–अग्रभाग–15.00 मी0।
बी0–पृष्ठ भाग–09.00 मी0।
सी0–पार्श्व भाग प्रथम–09.00 मी0।
डी0–पार्श्व भाग द्वितीय–09.00 मी0 प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार भवन विनियमावली मानको के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमे किसी प्रकार का स्थाई/ अस्थायी निर्माण कार्य अनुमन्य नही होगा तथा टावरो के आन्तरिक भाग एवं बाहय भाग की ओर 09 मीटर का मोटरेबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान अग्निशमन वाहनो हेतु रखा जाना अनिवार्य है।

3– निकास मार्गः– प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर मे 02 स्टेयर कमशः चौडाई 1.5, एवं 1.25 मीटर प्रस्तावित है, एवं बेसमेन्ट मे 02 अतिरिक्त रैम्प है जिनकी फलोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है तथा एक स्टेयर को फायर टावर के रूप मे निर्मित किया जायेगा

4– रिफ्यूज एरियाः– भवन मे रिफयूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट मे बालकनी का प्राविधान है जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाः– प्रश्नगत भवन मे एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाऐं कराया जाना वॉच्छनीय है।

1–भूमिगतः– प्रश्नगत भवन मे अग्निशमन कार्यो हेतु 2,00,000 दो लाख लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

2–पम्पसः– भूमिगत टैंक के पास 2280 एल0पी0एम0 क्षमता के 02 अदद मेन पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 01 अदद जौकी पम्प मानको के अनुसार स्थापित कराये जाने वॉच्छनीय है।

(अमन शर्मा)

3–टैरिस टैंक: प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 25,000 ली0 स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
4–होजरील:– प्रस्तावित प्रत्येक टावर मे प्रत्येक तल पर होजरील लैण्डिंग वाल्व, मय होज बाक्स, होज पाइप, एवं ब्रान्च पाइप का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।
5–वेटराईजर:– प्रस्तावित भवन मे 150 एमएम का वेटराइजर एवं फायर सर्विस इन्लेट एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।
6–यार्ड हाईड्रेण्टस:– प्रस्तावित भवन रिंग लाइन उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट का मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।
7–आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम:– समस्त टावरो के समस्त तलो पर ऑटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 के मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।
8–मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:–समस्त टावरो मे मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
9–आटोमैटिक डिटेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम:–समसत टावरो मे आटोमैटिक डिटेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
10–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):– प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन मे निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0– 2190 के अनुसार प्राविधान किया जाना है जो मानक के अनुरूप है।
11–स्मोक एक्स्ट्रेक्शन:– प्रश्नगत भवन मे डक्टिड स्मोक एक्स्ट्रेक्शन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
12–एग्जिट साईनेज:– सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय
13–पी0ए0 सिस्टम:– सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
14–हैलीपैड:– प्रश्नगत भवन मे हैलीपैड का प्राविधान एन0बी0सी0 मानक के प्रस्तर सी0–10 के अनुपालन मे वॉच्छनीय है।
15–प्रशिक्षित स्टॉफ:– प्रश्नगत भवन मे अधिष्ठापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के संचालन हेतु व्यवसायिक रूप से दक्ष कर्मी एवं प्रशिक्षित फायर आफिसर एन0बी0सी0–2005 के प्रस्तर सी0–6 के अनुसार नियुक्त किया जाना वॉच्छनीय है।
16–वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था:– प्रश्नगत भवन मे उपरोक्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को अधिष्ठापित कराये जाने के उपरान्त एवं फायरमैन लिफ्ट तथा भवन को बिल्कुल अलग से वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

-- उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति के श्रोत से संयोजित किया जाना एवं इनके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टॉफ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा भवन मे फायर ड्रिल, अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण व सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा कराई जानी मानको के अनुसार वॉच्छनीय होगी यदि किसी प्रकार का निर्माण कार्य कराया जाता है तो उसके लिए अग्निशमन विभाग अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स वोकेशनल एजुकेशन फाउण्डेशन द्वारा प्लाट न0–08, सेक्टर–चोरसिया एस्टेट, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन के निर्माण हेतु संशोधित प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 मे उल्लेखित मानको के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र अदद।

(अजय शर्मा)
उप निदेशक, फायर सर्विस
मेरठ परिक्षेत्र।

प्रतिलिपि:1–मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2–अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नौएडा, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3–मैसर्स वोकेशनल एजुकेशन फाउण्डेशन द्वारा प्लाट न0–08, सेक्टर–चोरसिया एस्टेट, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को अनुपालनार्थ।